छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 20–116/2009/11/(6) रायपुर दिनांक 04 फरवरी 2011

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त,
   उद्योग संचालनालय,
   पंडरी, रायपुर

2. प्रबंध संचालक,
   सीएसआईडीसी,
   पंडरी, रायपुर

विषयः– औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–4 का कंडिका क्रमांक–5 औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि पर प्रीमियम में छूट/रियायत।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14 में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत संबंधी प्रावधान लागू किये गये है।

''**औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन उन्हीं उद्योगों को प्राप्त होंगे जो स्थायी नियोजन में, अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की दशा में कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय / प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करेंगे।**''

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाईयों को किये जाने वाले भू–आबंटन से संबंधित संलेखों में निम्नाशय की कंडिका समावेशित की जावेः–

''**यह रियायत इस शर्त पर दी जाती है कि आबंटी उद्योग का अपने उद्योग में अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की दशा में कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय / प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करना आवश्यक होगा।**''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/–
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग